न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 22/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 08.03.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. प्रताप आत्मज भंवरलाल जाति कुमावत निवासी बड़ा नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, राज जरिये कायम मुकामान
   1/1. बरधी बाई पत्नि प्रताप जाति कुमावत
   1/2. गिर्राज कुमावत पुत्र प्रताप जाति कुमावत
   1/3. कमलेश कुमावत पुत्र प्रताप जाति कुमावत
   निवासीगण ग्राम नया बडागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

....अपीलांट्स

बनाम

1. प्रकाश चन्द आत्मज तेजमल जाति कुमावत निवासी बड़ानयागांव, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली, जिला बून्दी

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलांट
श्री दीपक साहू, अभिभाषक – रेस्पो0 क्रम–1

::निर्णय::

दिनांक 24.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 362/16 बउनवान प्रकाश बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो क्र.1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के समक्ष तरमीम दुरूस्ती हेतु एक प्रार्थना–पत्र पेश कर अनुरोध किया गया कि कृषि भूमि खसरा सं0 3968/2723 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम अशोक नगर में स्थित है, जो जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की खतोनी सं0 74 में प्रार्थी प्रकाशचंद पि0 तेजमल जाति कुमावत के नाम खातेदारी दर्ज है, के नक्शा ट्रेस में दक्षिणी साईड पर डाली गई अवैध तरमीम को निरस्त फरमाया जावे।

24/7/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी प्रकाश की खातेदारी भूमि खसरा सं0 3968/2723 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम अशोक नगर में वर्तमान नक्शे में धोरे के रूप में डाली गई नई तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.12.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम बड़ानयागांव में बरसाती नाला बना हुआ है जो उकत नाला ग्राम बडानयागांव से अशोक नगर में पुरानी सड़क एन.एच. 12 के नीचे होकर खसरा सं0 2723 में होते हुये ग्राम चेंता की तरफ जाता है, खसरा सं0 2723 सरकारी भूमि थी जिसमें से 1 बीघा 4 बिस्वा रेस्पो0 प्रकाशचन्द ने अपने नाम दर्ज करवाली, जिसकी खसरा सं0 3968/2723 है। ग्राम बडानयागांव से आने वाला बरसाती नाला खसरा सं0 2723 में भी बना हुआ है और उक्त नाला पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, राजस्व नक्शे में एनएच 12 के पास से नाला दो भागों में विभक्त हो रहा है जो खसरा सं0 3968/2723 के उत्तरी साईड व इसी प्रकार खसरा सं0 3968/2723 के दक्षिण साईड में भी बना हुआ है, जो नक्शे में डॉट–डॉट के रूप में दर्शाया हुआ है और उक्त नाले से बरसाती पानी का निकास पीढियों से होता आ रहा है। एन.एच.12 पुरानी सडक की पुलिया से पश्चिमी साइड पर अपीलांट के मकान व कृषि भूमियां स्थित है, लेकिन खसरा सं० 2723 में से 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो रेस्पो० सं० 1 के नाम गलत दर्ज कर दी गई है, जिसको जमाबंदी में खसरा सं0 3968/2723 के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि कानूनन नाले के रूप में प्रयुक्त भूमि न तो आवंटन की जा सकती है और न ही नाले पर कोई निर्माण किया जा सकता है, लेकिन रेस्पों० ने अपनी भूमि खसरा सं0 3968/2723 की आड़ में बरसाती नाले को अवरूध कर नाले पर पक्का निर्माण कर लिया, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत व प्रशासन को शिकायत करने पर पानी का रास्ता दुरूस्त करने व निर्माण हटाने का आश्वासन दिया था लेकिन समय निकलने के साथ ही रेस्पों० ने नाले पर किये गये निर्माण को नहीं हटाया और पूर्व से खसरा सं0 2723 में नाले के रूप में की हुई तरमीम नक्शे में मौजूद होने से रेस्पों० ने तथ्य छुपाकर खसरा सं0 3968/2723 में दक्षिण साईड पर धोरे के रूप में बनी हुई तरमीम को निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 28.12.2016 को बरसाती नाले की हो रही तरमीम को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश वस्तुस्थिति, विधान व प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पों० द्वारा बरसाती नाले व पानी के निकास के स्थान पर मकान बना लेने व नाले को अवरूध कर देने से ग्राम बडानयागांव की आबादी व खेतों का आने वाला बरसाती पानी नहीं निकल पाता है और उक्त बरसाती पानी सडक से पश्चिम साईड पर बने हुये मकान व भूमि में भर जाता है जिससे अपीलांट की भूमि की फसल नष्ट हो जाती है व अपीलांट के परिवार के सदस्यों का मकानों में रहना मुश्किल होता है उक्त बरसाती पानी निकास के अभाव में मकानों में भर जाता है। रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा नाले पर मकान निर्माण करवाकर नाले का स्वरूप नष्ट कर दिया है, लेकिन नक्शे में नाला बना हुआ होने से रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने द्वारा किये गये अवैध निर्माण को छिपाने व नक्शे में से तरमीम को नष्ट करने हेतु तथाकथित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तरमीम निरस्ती का आदेश पारित करवा लिया है। उक्त तरमीम निरस्ती के आदेश से अपीलांट

अति0 सं. आयुक्त
कोटा

पीडित व प्रभावित पक्षकार होने से उक्त आदेश को निरस्त कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर गौर किये बिना तरमीम निरस्ती का आदेश पारित कर दिया है तथा उक्त मौका रिपोर्ट को निर्णय का आधार नहीं बनाकर वैधानिक त्रुटि की है। पेराकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र के जवाब में स्पष्ट अंकन किया था कि रेस्पों० क्र. 1 द्वारा नाले के स्थान पर निर्माण कर लिया है, जिससे पानी की निकासी बंद हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना बरसाती नाले की तरमीम को निरस्त करने के आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नाले की तरमीम निरस्त कर दिये जाने से अब रेस्पों० क्र. 1 बरसाती पानी को उक्त स्थान से नहीं निकलने दे रहा है। जिससे ग्राम बडानयागांव में जाने वाले रास्ते पर पानी भरा रहता है, अपीलांट व अन्य काश्तकारों की भूमियों में पानी भरा रहने से फसलें चौपट (नष्ट) होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने तरमीम निरस्ती हेतु आदेश पारित करने से पूर्व पानी के निकास के संबंध में नाले पर किये गये निर्माण को हटा कर पानी के निकास के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है केवल तरमीम निरस्ती बाबत आदेश पारित कर दिया है, जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से खसरा सं० 3968/2723 के दक्षिणी ओर की की हुई नाले की तरमीम को निरस्त कर देने से रेस्पों० क्र. 1 ने पानी के निकास को बंद कर दिया है, जिससे सडक व रास्ते पर बरसाती पानी भर जाने से आम राहगीर व अपीलांट परेशान होते है और बरसात के मौसम में मकान व जमीन पर पानी भर जाने से अपीलांट के मवेशी बैठ नहीं पाते है व पानी में खड़े रहने से जानवरो भी बीमार हो जाते है, अपीलांट पीडित व प्रभावित पक्षकार है जिसको उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलांट व ग्रामवासियों की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला कलक्टर बूंदी आदि ने नाले को सुचारू करने व पानी की शीघ्र निकासी के आदेश भी दिये थे, लेकिन नाले की तरमीम के निरस्ती के बाबत उक्त विवादित आदेश पारित कर देने से नाले पर से न तो अतिक्रमण हटा है और न ही पानी की निकासी हो रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पटवारी, सरपंच तहसीलदार की मौजूदगी में दिनांक 31.08.2015 को नाला खुलासा करने बाबत् किये गये पंच फैसले की दिनांक 31.03.2020 तक भी पालना नहीं होने पर अपीलांट पटवारी हल्का के पास नक्शे की नकल लेने दिनांक 01.04.2020 को जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नाले की तरमीम को उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय द्वारा निरस्त करने बाबत् जानकारी दी गयी। इसके उपरांत नकल निर्णय प्राप्त कि जाकर अपील पेश किया जाना संभव हो सका। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.12.2016 को निरस्त किया जाकर ग्राम अशोक नगर के नक्शे में खसरा सं0 3968/2723 की दक्षिणी तरफ पूर्व से हो रही नाले की तरमीम को यथावत रखने के आदेश फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अन्तर्गतश पेश किया गया, जिसमें दक्षिणी साईड में पूर्व से पश्चिम नाले के रूप में की गई तरमीम को दुरूस्ती हेतु गलत आवेदन पेश किया गया हैं। तहसीलदार द्वारा की गई तरमीम सही थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत रूप से दुरूस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उक्त के संबंध में नाले की जमीन के होने के तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नाले की तरमीम निरस्त कर दिये जाने से अब रेस्पों० क्र. 1 बरसाती पानी को उक्त स्थान से नहीं निकलने दे रहा है। जिससे ग्राम बडानयागांव में जाने वाले रास्ते पर पानी भरा रहता है, अपीलांट व अन्य काश्तकारों की भूमियों में पानी भरा रहने से फसलें चौपट (नष्ट) होती है। उक्त तरमीम निरस्ती के आदेश से अपीलांट पीडित व प्रभावित पक्षकार होने से उक्त आदेश को निरस्त कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर गौर किये बिना तरमीम निरस्ती का आदेश पारित कर दिया। जबकि पेराकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र के जवाब में स्पष्ट अंकन किया था कि रेस्पों० क्र. 1 द्वारा नाले के स्थान पर निर्माण कर लिया है, जिससे पानी की निकासी बंद हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना बरसाती नाले की तरमीम को निरस्त करने के आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 28.12.2016 पारित किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पटवारी, सरपंच तहसीलदार की मौजूदगी में दिनांक 31.08.2015 को नाला खुलासा करने बाबत् किये गये पंच फैसले की दिनांक 31.03.2020 तक भी पालना नहीं होने पर अपीलांट पटवारी हल्का के पास नक्शे की नकल लेने दिनांक 01.04.2020 को जाने पर पटवारी हल्का द्वारा नाले की तरमीम को उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के न्यायालय द्वारा निरस्त करने बाबत् जानकारी दी गयी। इसके उपरांत नकल निर्णय प्राप्त कि जाकर अपील पेश किया जाना संभव हो सका। अतः अपील पेश करने की इजाजत फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार हिण्डोली से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई लेकिन उन्होनें भी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया कि दिनांक 21.06.2014 से दिनांक 08.07.2016 के मध्य में नक्शे में जो नई तरमीम डाली है वह इन्द्राज किस अधिकारी द्वारा व किस तारीख को व किसके निर्देश पर उक्त तरमीम की गई है, इसका कोइ रिपोर्ट में जिक्र नहीं हैं। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विलम्ब से पेश की गई, जबकि स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मीमों में पंच फैसले का हवाला दिया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में अपीलांट को कोई Locus Standi नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्रामवासी के द्वारा पक्षकार बनने की चाराजोही नहीं की गई। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

5. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ प्रभावित पक्षकार होना वर्णित करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उक्त के संबंध में नाले की जमीन के होने के तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नाले की तरमीम निरस्त कर दिये जाने से अब रेस्पों० क्र. 1 बरसाती पानी को उक्त स्थान से नहीं निकलने दे रहा है। जिससे ग्राम बडानयागांव में जाने वाले रास्ते पर पानी भरा रहता है, अपीलांट व अन्य काश्तकारों की भूमियों में पानी भरा रहने से फसलें चौपट (नष्ट) होती है। उक्त तरमीम निरस्ती के आदेश से अपीलांट पीडित व प्रभावित पक्षकार होने से उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी का सुना जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर गौर किये बिना तरमीम निरस्ती का आदेश पारित कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण रेस्पो0 क्र. 1 के द्वारा में अपीलांट के प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर न्यायहित में अपीलांट का उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलांट व ग्रामवासियान की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला कलक्टर, बून्दी आदि ने नाले को सुचारू करने व पानी की शीघ्र निकासी के आदेश दिये थे, लेकिन नाले पर से ना तो अतिक्रमण हटा और न हीं पानी की निकासी हुई तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पटवारी, सरपंच तहसीलदार की मौजूदगी दिनांक 31.08.2015 को नाला खुलासा करने बाबत् पंच फैसला किया लेकिन पंच फैसले की दिनांक 31.03.2020 तक भी पालना नहीं होने पर पटवारी हल्का से जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2016 की जानकारी हुई। रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विलम्ब से पेश की गई, जबकि स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मीमों में पंच फैसले का हवाला दिया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होना प्रकट होता है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में अपीलांट को कोई Locus Standi नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपील मियाद के आधार पर खारिज की जावे। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 28.12.2016 को पारित किया गया है तथा अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र में यह वर्णित किया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पटवारी, सरपंच तहसीलदार की मौजूदगी दिनांक 31.08.2015 को नाला खुलासा करने बाबत् पंच फैसला किया लेकिन पंच फैसले की दिनांक 31.03.2020 तक भी पालना नहीं होने पर पटवारी हल्का से जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2016 की जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में अपीलांट के अपील विलम्ब से पेश करने में हुये विलम्ब का कारण युक्तियुक्त एवं संतोषजनक प्रकट होने से न्यायहित में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

7. प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट में वर्णित महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर एकतरफा निर्णय पारित किया है। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में पानी निकासी के स्थान पर रेस्पो0 द्वारा मकान बनाने का तथ्य वर्णित किया है। इसी प्रकार पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.12.2016 में भी उक्त स्थान पर नाला होने का अंकन हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा प्रकरण संख्या 362/16 बउनवान प्रकाश बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, परीक्षण/जांच कर प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/7/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा